


२५०

यायालय श्रीमान् राजस्व मुंडल तिक्क कोर्ट रीवा संभाग रीवा नम्बर
R. ९२९७ - दो ११६



१। यशवन्त सिंह उम्र- 52 साल तथा श्री बंशपति सिंह

२। एशवन्त सिंह उम्र- 45 साल तथा स्व० बंशपति सिंह,

३। अमितमन्त सिंह तथा स्वार्य बंशपति सिंह।

तीनों निवासी बरहदी ४५ तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारी वा नम्बर ०

===== अधिकारी/कारामीक्त गिण्ठ

काम

१। मंगल साफेत उम्र- 52 साल तथा छोटका उम्र ४१ वर्षीय साफेत

२। श्रीमती तिथिया उम्र- 50 सालपति मंगल साफेत

३। उमेश कुमार साफेत उम्र- 32 साल तथा मंगल साफेत

सभी निवासी ग्राम बरहदी तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारी वा नम्बर ०

===== अम्बा० गैरकिंगरामीक्त गिण्ठ

कारामी बिल्ड आदेश अनुच्छेदारी अधिकारी
तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारी वा नम्बर ००
प्रक्रण अंक ६३-७०/१५-१६ आदेश दिनांक

२९-६-२०१६

कारामी अन्तर्गत ६ टरा- ५० म० रु० ५०० रु०
संहिता १९५९ ई०.

मान्धवर,

कारामी के अधार मिमिलिगत है :-

१ - यहकि बरहदी तहसील रायपुर कर्चुलियाम जिलारी वा नम्बर ००

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश र्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-R.5297-II / 16

जिला—रीवा

यशवंत सिंह व अन्य / मंगल साकेत

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|---|
| 21.03.17 | <ol style="list-style-type: none">प्रकरण प्रस्तुत।आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। |  सदस्य |